(16)

ई पत्रावली संख्या-37518

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

CE(P) / AAO
29/2/24
प्रमुख अभियन्ता
लो०नि०वि०

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

...र्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 28 फरवरी,2024

विषय:- टी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में पुरोड़ी-रावना-डामटा मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 13 कि0मी0 एवं सेतु निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य, लम्बाई 13.00 किमी. + 20 ... सेतु तथा लागत ₹198.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-...III(2)/05-64(प्रा.आ.)05 दिनांक 10 नवम्बर,2005 (शासनादेश में दी गई सूची के क्रमांक-49 ...रा की प्रदान की गई है।

उपरोक्त स्वीकृति के सापेक्ष मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने ...ों के पातन में समय लगने और इस मध्य श्रमिक, सामग्री/मशीनरी की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के ...पूर्व स्वीकृत लागत ₹198.70 लाख में सम्पूर्ण लम्बाई में कार्य पूर्ण न हो पाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन के शासन स्तर पर ...की परीक्षणोपरान्त श्री राज्यपाल औचित्यपूर्ण पायी गयी सम्पूर्ण लागत ₹562.53 लाख (अतिरिक्त ₹363.83 लाख+पूर्व स्वीकृत लागत ₹198.70 लाख) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय ... निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या-1754/III(2)/05-64(प्रा.आ.)05 दिनांक 10 नवम्बर,2005 द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 198.70 लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹562.53 लाख से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ ₹363.83 लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों हेतु अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 10.11.2005 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

vi. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली,2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।

28/2024

स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त ... किया जायेगा।

... सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी ... वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

... विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन ... अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से ... कर ली जायेगी।

...ित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का ... दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

... योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-31 लेखाशीर्षक- 5054 ... सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सडक निर्माण कार्य-03 चालू ...र्य-53 वृहद निर्माण की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से ...गा।

... आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-I/193697/2024, दिनांक 26 ...024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 28-02-2024 14:56:32

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

... निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

...हालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

...युक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

...लाधिकारी, देहरादून।

...त्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

...ख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

...धीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लो.नि.वि., देहरादून।

...धिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि., चकराता।

...ार्ड बुक।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
'नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक– 283 / 20 याता0'क'नियो0–1 / 2024 दिनांक– 22 .03.2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय ''वैबसाईट'' पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून